

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

सहायक न्यायालय (SDO)
बाबु

श्री वजीराम बनाम श्री देवी देवी

किस्म मुकदमा... 1/2019... नं. 120... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.4.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।	
16.4.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण 2 व 3 की ओर से वकील रिण्डाएम द्वारा अउडरटैकिंग ले गई। पीठासीन आधिकारी महोदय दीगट कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दि 5/6/19 को पेश हो।	understand दि 12/4/19 16/4/19
4.6.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। पीठासीन आधिकारी महोदय दीगट कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 4/9/2019 को पेश हो।	



4.9.19

प्रार्थी वकील उपण/ विप्रार्थीगण अनुपस्थित
पीठाधीन अधिकारी महोदय की कार्यवाही में व्यर्थ होने के कारण
दिनांक 24.12.19 को पेश हो।

24.12.19

प्रार्थी वकील उपण/ विप्रार्थीगण अनुपस्थित/धीमान
पीठाधीन अधिकारी महोदय अवकाश में पधारने के पत्रावल
दिनांक 12/2/2020 को पेश हो।

12.2.2020

प्रार्थी वकील उपण/ विप्रार्थीगण अनुपस्थित/ विप्रार्थी सं 293
की ओर से वकील रिवाछाम द्वारा कालानामा पेश नहीं किया गया।
उत्के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष
विप्रार्थीगण का वजूद नामिल अनु/ न्यायालय समय तीन बार
आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 05.05 PM पर लगाई गई
विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
लेटाना उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती
है। प्रार्थी वकील की एक पञ्जीय बटस सुनी गई। प्रार्थी वकील
ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के कालेवारी खेत से 6
से 6 आए हुए हैं प्रार्थी के कालेवारी खेतों के बीच पुरानी मोड़
तथा कठे बन हुए हैं लेकिन वर्तमान में आधियों की वजह
से पुरानी मोड़ फिर गई हैं जिससे प्रार्थी के खेत की सीमाओं
का सही ज्ञान नहीं हो पाता है तथा वषट्ट होने पर विप्रार्थीगण
प्रार्थी की कालेवारी अमि में खेती कर लेते हैं जिससे प्रार्थी-
विप्रार्थी के बीच तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी का
नेवमवंदी आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की अमि का नेवमवंदी
आदेश दिया जाव।

प्रार्थी आवेदना के निवेदन पर प्रार्थी का नेवमवंदी
आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार बापु को कमीशनर एवं
सम्बन्धित इ.अ. निरीक्षको सहायक कमीशनर नियुक्त किया
जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयंसा सहायक कमीशनर से
प्रार्थी की रकालेवारी अमि की पम्की नेवमवंदी मोके पर नियमावली
कमीशनर बुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट पेश होने
पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली के लल शुमा हो, जमिना
ले कम हो, कारखिल फफर हो।

12.2.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बापु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2020/152

दिनांक:- 12/2/2020

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. शिवजीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट
निवासी भाम्भुओं की ढाणी तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

1. फूली पत्नी लाखाराम वगैरा निवासी
भाम्भुओं की ढाणी तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 120/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा भाम्भुओं की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 354/277 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

विश्वेश्वर
महापत्र 2.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2020/153-157

दिनांक:- 12/2/2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री शिवजीराम
4. विप्रार्थीगण श्री फूली वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा ।

विश्वेश्वर
12.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु